केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर पौधे रोपे

सेवा संकल्प दिवस के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन वृक्षारोपण के साथ मनाया।

भरतपुर (निस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हान पर उनके जन्मदिवस प्रेम-सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए संस्थान परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. विजय वीर सिंह ने बताया कि मंत्री चौहान ने अपने जन्मदिवस पर सभी से आठाह किया है कि इस अवसर पर होर्डिंग, शॉल-श्रीफल, स्मृति-चिह्न या बुके भेंट करने के बजायएक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। उनके इसी संदेश को आत्मसात करते हुए संस्थान में पौधारोपण कर प्रेम-सेवा संकल्प दिवस मनाया गया। डॉ. सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

- **भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए संस्थान परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया**

इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनमानस में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संस्थान परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों ने अधिकाधिक पौधारोपण करने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया।

युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का मंच बना युवा संबल मेला

दौसा। जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय पीजी कॉलेज परिसर में एक दिवसीय युवा संबल मेले का आयोजन किया गया। मेले में जिले भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर (लालसोट) मनमोहन मीना, रोजगार विभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र मीणा, जिला रोजगार अधिकारी श्याम लाल शर्मा तथा उद्योग विभाग के महाप्रबंधक मेघराज मीना ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मेले में एलआईसी, ऑटोमोबाइल, मेडिकल और सिक्योरिटी, फील्ड ऑफिसर, सुरक्षा प्रहरी, सुपरवाईजर सहित विभिन्न क्षेत्रों की 17 निजी कंपनियों ने भाग लेकर युवाओं के साक्षात्कार लिए। मेले में भाग लेने के लिए आशार्थियों ने क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करवाया, जिनमें से 250 से अधिक युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया।

वधावन प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल

दौसा। भाजपा जिला मीडिय प्रभारी प्रेम हरितवाल ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी कार्यकारिणी में सिकंदर वाधवन को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं साफ़ा पहनाकर स्वागत किया।

सिकंदर वाधवन संगठन के प्रति समर्पण एवं समाज के लिए उनकी निष्ठा सदियों से प्रेरणा दायक रही है।उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को और अधिक मज़बूती मिलेगी।

पौधशालाओं के निरीक्षण के निर्देश

दौसा। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचायत समिति विकास अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति पर चर्चा की गई तथा अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत तरल कचरा प्रबंधन के तहत सामुदायिक सोकपिट तथा ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत सामुदायिक कम्पोस्ट पिट, कचरा स्थिरीकरण तालाब, व्यक्तिगत शौचालय, 3सामुदायिक शौचालय, शौचालय विहीन राजकीय विद्यालयों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण, कचरा संठाहण केन्द्र, बर्तन बैंक और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों की स्वीकृति, निर्माण एवं लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पौधशालाओं का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिरदी चंद गंगवाल ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान तथा बजट घोषणा के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों तथा ई-फाइल प्रगति की भी समीक्षा कर समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली

डीग भरतपुर (निस)। डीग की पुलिस लाइन में गुरुवार को होली का पर्व उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और एसपी ओमप्रकाश मीणा ,एडिशनल एसपी अखलेश शर्मा और सीओ सीता राम बैरवा ने पुलिसकर्मियों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगा कर होली की शुभकामनाएं दी।

- **जिला कलेक्टर और एसपी पुलिस के जवानों के साथ होली गीतों पर खूब थिरके**
- **डीग पुलिस लाइन में गुरुवार को होली का पर्व उत्साह और धूमधाम से मनाया गया।**

इस दौरान जिला कलेक्टर एस पी मीणा, ए एस पी शर्मा और सीओ बैरवा ने सभी थानों के प्रभारियों और पुलिस कर्मियों के साथ डीजे और डोल की आवाज पर होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया।

पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल अतर सिंह ने घाघरा लुगड़ी पहनकर महिला के भेष में साथी पुलिस कर्मियों के साथ जमकर ठुमके लगाए और खूब मनोरंजन किया।इसके अलावा जिले के सभी थानों और चौकियों में भी पुलिसकर्मियों ने जम कर होली खेली। 4 मार्च को धुलेंडी के दिन जब जिले में लोगों ने होली का त्यौहार मनाया उस दौरान पुलिसकर्मी हिंदुओं के इस सबसे बड़े त्योहार पर पूरे दिन अपने अपने क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। होली का महापर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने गुरुवार को होली मनाते हुए इस रंगों के त्योहार का जम कर लुफ्त उठाया।

इसके अलावा भरतपुर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के बाद पुलिसकर्मियों ने एक दिन बाद आपस में होली का त्योहार मनाया। भरतपुर पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस होली कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कमर चौधरी और पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद भी शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों ने पुलिस के जवानों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला।

डीजे की धुन पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी, एसपी दिगंत आनंद और पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। जवानों ने भी एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली का आनंद लिया। अधिकारियों ने इस अवसर पर पुलिसकर्मियों के कर्तव्यनिष्ठा और त्योहार के दौरान उनकी मुस्तैदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते हुए भी समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

गौ माता सुरक्षा अभियान की बैठक 6 को

दौसा। गौ सम्मान अभियान की बैठक 6 मार्च को प्रात:10 बजे बंसी वाले भगवान मदिर कुण्डल में आयोजित की जावेगी। गौ सम्मान आव्हान अभियान के दौसा जिला प्रभारी सुशील शर्मा ने बताया कि कुंडल तहसील बैठक 6 मार्च को प्रात:10 बजे बंसी वाले भगवान का बड़ा मन्दिर में आयोजित की जावेगी, जिसमें संत वैष्णव दास महाराज शामिल होगें। उन्होने बताया कि इसी प्रकार तहसील भांडारेज की बैठक दोपहर 12 बजे बालाजी का मंदिर बावड़ी दरवाज़ा में रहेगी तथा दोपहर 2:30 बजे बहरावण्डा तहसील की बैठक जगदीश का मंदिर मुख्य बाज़ार में आयोजित की जावेगी। उन्होने बताया कि महुआ तहसील की बैठक सायं 5 बले किले की देवी के मंदिर महवा में आयोजित की जावेगी। उन्होने अधिक से अधिक गौ प्रेमियों से बैठक में शामिल होने की अपील की है। उन्होने कहा कि गौ माता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान मेले गो माता राष्ट्र माता बने इस पुनीत अभियान में अधिक से अधिक संख्या में पहुचकर सफल बनायें।

'मूक पशु पक्षियों की सेवा करना मानव जीवन का परम कर्तव्य'

दौसा। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही बढ़ते तापमान के कारण मूक पक्षियों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मूक पक्षियों की प्यास बुझाने और जीव सेवा का संदेश जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से परमार्थ योग संस्थान दौसा द्वारा सेवा भावना के साथ सैकड़ों परिंडों (जल पात्र) का वितरण किया गया। इस सेवा अभियान के माध्यम से शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए सुरक्षित जल व्यवस्था सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।

संस्थान के प्रवक्ता लोकेश शर्मा संस्कृत ने जानकारी देते हुए कहा कि मूक पशु-पक्षियों की सेवा करना मानव जीवन का परम कर्तव्य और सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन और जीव संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऐसे सेवा कार्य न केवल जीवों के जीवन की रक्षा करते हैं, बल्कि मनुष्य को भी करुणा, दया और संवेदनशीलता जैसे श्रेष्ठ गुणों की ओर प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि भलाई के लिए किए गए कार्य ही जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाते हैं तथा जीव सेवा हमें आध्यात्मिक उन्नित और परमानंद की अनुभूति कराती है। योग गुरु सुरेश कुमार ने कहा कि सामूहिक सहयोग से किया गया सेवा कार्य ईश्वर की सच्ची आराधना है।

उन्होंने सभी स्वयंसेवकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब समाज मिलकर सेवा करता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समाज में मानवीय मूल्यों को मजबूती मिलती है। गृहस्थ संत रामावतार जी शाकुनिया ने अपने संबोधन में कहा कि सेवा ही जीवन का परम उद्देश्य है। उन्होंने सभी लोगों से आ ान किया कि वे अपने दैनिक जीवन में जीव-जंतुओं, पर्यावरण और समाज के प्रति संवेदनशील बनें तथा अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कार्यों में भाग लें। संस्थान के संरक्षक ओमप्रकाश महेश्वरा ने सभी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों एवं समाज के जागरूक नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जीवन में श्रेष्ठ कार्यों का निरंतर अभ्यास ही व्यक्ति को महान बनाता है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्यों को और व्यापक स्तर पर संचालित करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने विभिन्न स्थानों पर परिंडों को लगाने एवं उनमें नियमित रूप से पानी भरने की जिम्मेदारी भी ली। इस अवसर पर उपस्थित सभी सदस्यों ने पक्षियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जीव दया के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में योग शिक्षिका कीर्ति शर्मा, सुशीला, कविता, गीता, केसर, संजू, रूपंता, पूजा, आरुषि, बबली, वंदना, कमोद, पीहू, प्रकृति, रामजीलाल, बाबूलाल, रामचंद्र, गौरव, ओमप्रकाश, डॉ. यश, प्रभु दयाल, मनोज, गजानन, हरिओम, दिनेश, महेश, शिवम, शुभम सहित संस्थान के अनेक सदस्य, कार्यकर्ता एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा समय-समय पर योग, सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं मानवीय मूल्यों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। यह अभियान भी उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य समाज में सेवा, संवेदना और प्रकृति प्रेम की भावना को मजबूत करना है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आग से 25 मण चारा, खाने का सामान खाक

पावटा । विराटनगर के मेड कस्बे के पास झाडोदिया ढाणी में बुधवार शाम अचानक लगी भीषण आग ने एक गरीब परिवार की मेहनत की पूरी कमाई को राख में बदल दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को अपना सामान तक बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाया। जानकारी के अनुसार मेड क्षेत्र की झाडोदिया ढाणी में सत्यनारायण मीणा के दो कच्चे छप्परों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और छप्परों में रखा करीब 25 मण चारा, गेहूं की बोरी, खाने-पीने का सामान तथा घरेलू उपयोग की कई वस्तुएं जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें और घना धुआं उठता देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बोरिंग के पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ग्रामीणों की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक परिवार का लगभग सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका था। घटना के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। इस अग्निकांड के बाद सत्यनारायण मीणा का परिवार भारी आर्थिक संकट में आ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

खोया पाया

मेरी कक्षा 8th और कक्षा 10th (बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा) की ओरिजिनल मार्कशीट कहीं पर खो गई है। मिलने पर सूचित करें। स्नेह अग्रवाल 203 श्री विनायक होम्स 3 जेतराम नगर, खेजड़ो का वास मानसरोवर जयपुर राजस्थान 9811163992

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
आवश्यक सूचना

मूलतः आवास संख्या 6/211, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर जो कि श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री भोजूमल को आवंटन पत्रांक 1297 दिनांक 28.06.2012 के द्वारा अवंटित किया गया था। आवास का अंदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 2622 दिनांक 01.11.2012 को श्री प्रेमचन्द के नाम जारी कर दिया गया। श्री प्रेमचन्द द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 07.11.2012 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री प्रेमचन्द द्वारा उक्त आवास के लिए दिनांक 09.11.2012 का श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री रामदयाल को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में मुख्तयारनामा पंजीकृत करवा कर अपना मुख्तयारआम नियुक्त किया गया है। श्री शम्भूदयाल बैहैसियत मुख्तयारआम द्वारा उक्त आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 09.07.2013 को श्री मुकेश गोयल पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गोयल को कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का लीज हस्तांतरण पत्रांक 797 दिनांक 20.07.2017 को श्री मुकेश गोयल पुत्र त्रिलोक चन्द गोयल के नाम जारी कर दिया गया था। श्री मुकेश गोयल द्वारा आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 09.07.2025 को श्रीमती कांता पत्नी श्री लालमन को कर दिया गया। श्रीमती कांता द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 6/211, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उत्तर पुत्राग हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती कांता पत्नी श्री लालमन के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1648
चूंकि प्रार्थी श्री मनीषा कुमारी मीना, फ्लैट न. एस-2, प्लॉट न. 28, श्याम रेजीडेसी, शिव नगर-द्वितीय, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान 302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास प्रभुदयाल शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्लाट न. सी-58, क्षतुशाल नगर, सवाई गैटोर रोड, मालवीय नगर जयपुर 302017 (राजस्थान) के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 07.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम सन्नो देवी (Shano Devi) से बदलकर स्नेह अग्रवाल (Sneh Aggarwal) रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे स्नेह अग्रवाल (Sneh Aggarwal) पत्नी श्री दिनेश अग्रवाल के नाम से ही जाना पहचाना जाए। पताः 203 श्री विनायक होम्स 3 जेतराम नगर, खेजड़ो का वास मानसरोवर जयपुर राजस्थान 302020

मैं नव्या पारीक के शैक्षिणक प्रमाण पत्रों में त्रुटिवश पिता का नाम पीयूष पारीक हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में पीयूष कुमार पारीक अंकित है। भविष्य में मेरे पिता का नाम पीयूष कुमार पारीक (PEYUSH KUMAR PAREEK) के नाम से जाना जाएं। नव्या पारीक, प्रेम कॉलोनी, तारों की कूट, जयपुर (राज.)

मैंने अपना नाम गोपाल कृष्ण से बदलकर गोपाल कृष्ण शर्मा (Gopal Krishan Sharma) पुत्र रिसाल सिंह शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे-गोपाल कृष्ण शर्मा के नाम से जाना जावे, निवासी- बी-39, शिवशक्ति नगर-बी, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर जयपुर, 9460762816

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
NOTICE INVITING BID

Bid for supply of "Double Beam UV-Visible Spectrophotometer" are invited from interested bidders upto **01:00 PM** on **12.03.2026**. Other particulars of the bid may be visited on the **http://sppp.raj.nic.in** and **http://uniraj.ac.in**. The approximate value of the procurement is **Rs 3.5 Lacs**.
UBN: URA2526GSOB00171 **Head**

कार्यालय नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा (कोटपूतली-बहरोड़)
क्रमांक-न.पा.पाव.प्रा./भूमि/2025-26/1156 प्रारूप-10 (नियम 6(7)) दिनांक :-26/2/26
लोक सूचना

श्रीमती सुमन कंवर पत्नी श्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतू ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारो के निवर्पन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
पावटा-कोटपूतली-बहरोड	प्रागपुरा	110	1000.76 वर्गमीटर	व्यावसायीक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजो के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय-समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी को आक्षेप नही है। और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मोहर के अधिन आज दिनांक 26/2/26 को जारी की गई है।
(फतेह सिंह मीणा) प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्याया. महो. स्थान दौसा
राजेश कुमार विरूद्ध हर खास आम
वाद बाबत दावा अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 48 सन् 26

वनाम... पुत्र... जाति... स्थान हर खास आम (वावत हरलाल पुत्र मोतीलाल की
वादी ने आपके विरूद्ध वाद के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 6 माह 3 सन् 26 को दिन में 10 ए.एम. वजें दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचनं दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसी प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो ओर जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उतर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उतर दे सके। आपकों यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें ओर उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जें में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। ओर यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के वाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मै उपंसजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई ओर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 25 माह 2 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
प्रस्तुतकार
सिविल न्यायाधीश
दौसा जिला दौसा

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1609
चूंकि प्रार्थी श्री URMILA CHAUDHURY, 8 A, KAILASH NAGAR, JHOTWARA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सर्वोदय चैरिटेबल फांउडेंशन 8A, KAILASH NAGAR, JHOTWARA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 07.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1556
चूंकि प्रार्थी श्री SHYAM BIHARI AGARWAL, B 202 REJENDRA MARG BAPU NAGAR LAL KOTHI GANDHI NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री सर्वेश्वर संसद जयपुर 1691 JADIYO KA RASTA JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1727
चूंकि प्रार्थी श्री RAJENDRA KUMAR VAISHNAV, F 2 DA, DEEPAK VATIKA, KARTARPURA, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सच का नया जीवन फांउडेंशन F2DA, DEEPAK VATIKA, KARTARPURA, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 11.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/265
चूंकि प्रार्थी श्री Basant Gandhi, 6 Manu Marg Alwar ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास संत गुरूदेव शाह शिक्षण संस्थान 6 Manu Marg Alwar के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नो